बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्र सं0– वि॰प्रा॰ (III) यो॰– 7 / 2018– /पटना, दिनांक

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग,पटना

विषय– नवादा जिला में नवस्वीकृत राजकीय पोलिटेकनिक, नवादा में वर्ष 2018–19 से सत्रारंभ करने हेतु संस्थान में आवश्यकता आधारित मशीनें, उपकरण, उपस्कर, कम्प्यूटर, सॉफ्टवेयर, जेनरेटर के क्रय के लिए स्वीकृत कुल रू॰ 1,00,00,000=00 (एक करोड़ रूपये) मात्र से व्यय के उपरांत शेष राशि रू॰ 50,08,000=00 (पचास लाख आठ हजार रूपये) मात्र, वित्तीय वर्ष 2018–19 में संस्थान को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश– स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–464, दिनांक 16.02.2017 के द्वारा नवादा जिला में नवस्वीकृत राजकीय पोलिटेकनिक में वर्ष 2018–19 से सत्रारंभ करने हेतु विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संस्थान के वर्गकक्ष, कार्यालय, प्रयोगशाला, कर्मशाला एवं पुस्तकालय में आवश्यकता आधारित मशीनें, उपकरण, उपस्कर, कम्प्यूटर, सॉफ्टवेयर, जेनरेटर के क्रय के लिए कुल रू॰ 1,00,00,000=00 (एक करोड़ रूपये) मात्र की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. उक्त विमुक्त राशि में से व्यय के उपरांत संस्थान द्वारा कुल रू॰ 50,08,342=00 (पचास लाख आठ हजार तीन सौ बेयालिस रूपये) मात्र की राशि प्रत्यर्पित कर दी गई।

3. राज्य सरकार ने उक्त प्रत्यर्पित राशि अर्थात रू॰ 50,08,000=00 (पचास लाख आठ हजार रूपये) मात्र, वित्तीय वर्ष 2018–19 में संस्थान को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

4. विमुक्ति हेतु उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य स्कीम बजट के ''मुख्यशीर्ष–4202 –शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष –02–तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष–104–बहुशिल्प, मांग संख्या–43, उपशीर्ष–0109–पोलिटेकनिक (निश्चय)'' के अधीन 52 02 मशीनें एवं उपस्कर–अन्य विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलित होगा जिसका विपत्र कोड 43–4202021040109 है।

5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित संस्थान के प्राचार्य होंगे।

6. इस राशि की निकासी राजकीय कोषागार नवादा से की जायेगी।

7. उक्त राशि से सामग्रियों के क्रय हेतु बिहार (वित्त) संशोधित नियमावली–2005 का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा तथा सभी प्रक्रियाओं का विधिवत पालन कर क्रय किया जायेगा।

8. उक्त स्वीकृत राशि से नियमानुसार क्रय की जाने वाली उपकरण एवं उपस्कर की गुणवत्ता के लिए संस्थान के प्राचार्य सीधे जिम्मेवार होगें तथा क्रय की गई उपकरण एवं उपस्कर की सूची सहित उसके अधिष्ठापन संबंधी प्रतिवेदन वर्त्तमान वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

9. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2018–19 मे विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

10. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758/वि॰, दिनांक 31.05.2017 के आलोक में निर्गत किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह॰/ –
(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) यो॰– 7 / 2018– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) यो॰– 7/ 2018– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, कोषागार नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) यो॰– 7/ 2018– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) यो॰– 7/ 2018– 1242 /पटना, दिनांक– 18-5-2018

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/ बजट सहायक/ आई॰टी॰ मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/5/18

सरकार के उप सचिव

17/05/18